

323

199

पक्षकारों एवं  
आदि के हस्ताक्षर

राज्य मण्डल न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा  
न्यायालय श्री मानुष आर्य महोदय सेवा संभार सेवा मण्डल



परमलाल शर्मा तनय कमला प्रसाद शर्मा साकिन इटौरा कला तहसील नागौद  
जिला सतना मण्डल ..... निगराकार

बनाम

चन्द्रिका प्रसाद पाण्डेय तनय श्री कमला प्रसाद पाण्डेय साकिन इटौरा  
तहसील नागौद जिला सतना मण्डल

शासन मण्डल ..... गैर निगराकार गण

निगरानी विरुद्ध आदेश अमर कलेक्टर जिला  
सतना मण्डल के प्र.क्र. 382/निगरानी/10-11  
आदेश दिनांक 28.3.12

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मण्डल भू. राजस्व  
सीहता 1959 ई0

क्रमांक 1675  
जिला पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक को प्राप्त  
19-6-12  
राजस्थान मण्डल न्यायालय  
R-1876-I/12 2-

अधिवक्ता श्री जयसारा  
विश्वकर्मा द्वारा सतना  
सेवा दिनांक 15/5/2012

15/5/12

मान्यवर,

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी का सीक्षित तथ्य निम्न है:-

- 1- यह कि गैर निगराकार / आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की आ.नं. 278/3 रकवा 0.554 आरे आ.नं. 286/1 रकवा 0.408 आरे, कुल कित्ता 2 कुल रकवा 0.962 हे0, स्थित अर्मासल तहसील नागौद के सीमांकन का आवेदन पत्र गैर निगरानी / अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
- 2- यह कि आपूर्ति कर्ता निगराकार द्वारा उक्त सीमांकन प्रकरण में

दिनांक 26-7-11 को इस आधार पर आपूर्ति की गई थी उक्त सीमांकन

15/5/12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

199

प्रकरण क्रमांक..... R. 1876-T/12..... जिला- सतना

परमलाल शर्मा विरुद्ध चन्द्रिका प्रसाद पाठक

(1)	(2)	(3)
16719-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... जस्राम विश्वामा..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला..... सतना..... के प्रकरण क्रमांक..... 382/निगरानी/2010-11..... में पारित आदेश दिनांक..... 28.03.12..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक..... 25.03.19..... को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	